न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान सुशीला देवी वगै0 बनाम किशनलाल वगै0

वाद संख्या–313/2002

दिनांक निर्णय–12.12.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी सुशीला देवी बेवा श्यामलाल जाति बैरवा निवासी बांदीकुई तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 23.11.2002 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार रामा नारायणपुरा तह0 बसवा जिला दौसा में खतौनी संख्या 12 का ख0 नं0 124 रकबा 1.02 है0 बारानी प्रथम, ख0 नं0 125/655 रकबा 0.08 ऐयर बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 लगानी 13 रूपयें 20 पैसे स्थित है जिसे आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ला. 3 व मृतक भौरी बेवा रामलाल के नाम चली आ रही है। भौरी वादीया नं0 1 की सास एवम वादीगण 2 व 3 की दादी एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ला. 3 की माता थी जो आज से करीबन 3 साल पूर्व फौत हो चुकी है जिसके हिस्से पर वादीगण प्रतिवादीगण नं0 1 ला. 3 काबिज काश्त चले आ रहे है भूमि मुतदाविया में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 3 का 1/4 हिस्सा है और इसी प्रकार मनसमाई बांटकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 काश्त करते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया वादीया नं0 1 के सुसर एवं वादीगण नं0 2 व 3 के दादा एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 के पित्ता मृतक रामलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी रामलाल की मृत्यु हो चुकी है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार है–

12/12/17
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

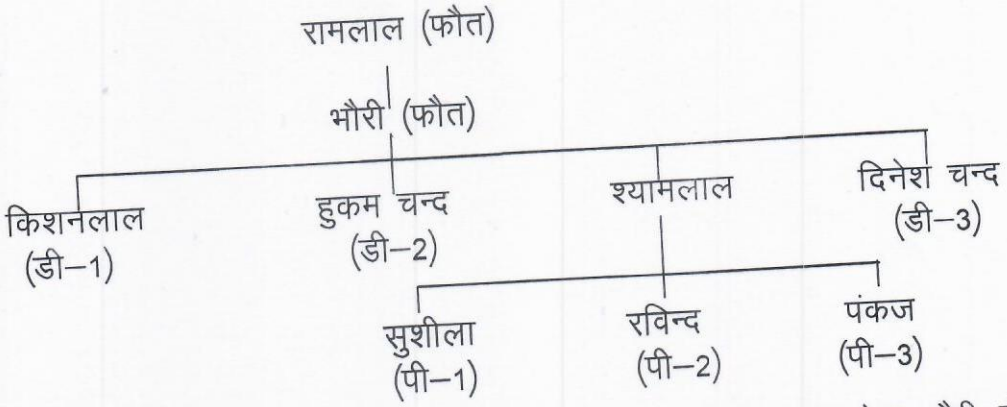

रामलाल की मृत्यु पर उसके चारो पुत्रान व एक बेवा भौरी के नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 19.6.96 को तस्दीक हुआ एवं श्यामलाल की मृत्यु के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 11.8.2000 को वादीगण के नाम तस्दीक हुआ है। इस प्रकार रामलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्से के हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है व काश्त करते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है।

भूमि मुतदाविया ख0 नं0 124 रकबा 1.02 है0 व ख0 नं0 125/655 रकबा 0.08 ऐयर कुल रकबा 1.10 है0 स्थित रामा नारायणपुरा तह0 बसवा का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा किया जाकर वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा का अलग अलग चक व अलग अलग खाते कायम कराये जावे व लगान का भी इसी कदर बंटवारा किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की भूमि मुतदाविया ख0 नं0 124 व 125/655 स्थित रामा नारायणपुरा तह0 बसवा पर वादीगण को उनके 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से स्वयं या अपने नौकरो घरवालो या एजेन्टो व अन्य मददगारान के दवामी तौर पर बाज व मुमतनाह रहें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दिनांक 16.10.2003 को न्यायालय में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। दोनो पक्ष विवादित भूमि का तकास्मा कराना चाहते है।

अतः वकील पक्षकारान को सुनने एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता

14/2/12
उप खण्ड अधिकारी

है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आ0 ख0 नं0 124 व 125/655 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 स्थित रामा नारायणपुरा तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये।

तहसीलदार बसवा द्वारा प्राप्त कुरेजात पर उभय पक्ष ने आपत्ति पेश की। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अवगत कराया कि कुरेजात मौके के अनुसार नही बनाये गये है। जवाब में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कुरेजात मौके के अनुसार सही है अतः इसके अनुसार डिक्रि फरमाई जावें। उभयपक्ष की बहय सुननें व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि पुनः कुरेजात मंगवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार बसवा को पुनः कुरेजात हेतु आदेश दिये जाते है। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
सुशीला देवी पत्नि श्यामलाल व रविन्द्र पंकज पि0 श्यामलाल जाति बैरवा नि0 बांदीकुई	124/2 125/655/2	0.25 0.02
	किता 2	0.27 है0
देवेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा सा0 श्यालावास खुर्द	124/1 125/655/1	0.77 0.06
	किता 2	0.83 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 12.12.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

12/12/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)